भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3467

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एम्स के कायाकल्प संबंधी नीति आयोग का पैनल

3467. श्री पी. पी. चौधरी:
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री अरुण गोविलः
श्री मनोज तिवारीः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
सुश्री बाँसुरी स्वराजः
श्री जनार्दन मिश्राः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्री अनुराग शर्माः
श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एम्स के कायाकल्प संबंधी नीति आयोग के पैनल संबंधी समिति द्वारा अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए क्या विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) क्या एम्स में प्रस्तावित कायाकल्प से उत्पन्न होने वाली चिंताओं का समाधान करने के लिए कोई लोक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एम्स के नैदानिक, शैक्षणिक और अनुसंधान निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए किन-किन विशिष्ट प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) की पहचान की गई है; और

(घ) क्या सरकार की स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता में वृद्धि के लिए विशेष रूप से झांसी सहित बुंदेलखंड जैसे वंचित क्षेत्रों में कायाकल्प किए गए एम्स, नई दिल्ली मॉडल के आधार पर नए एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): एम्स, नई दिल्ली को चिकित्सा अनुसंधान और प्रैक्टिस के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में परिवर्तित करने हेतु एक रोडमैप तैयार करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के कार्य एम्स में मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गहन

जांच करना और महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव करना शामिल है। समिति के कार्यक्षेत्र में रोगियों की तादाद को सुव्यवस्थित करने के तरीकों की पहचान करना, इष्टतम नैदानिक, शैक्षणिक और अनुसंधान परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) तैयार करना, अभिशासन और पारदर्शिता को बढ़ाना और एम्स, नई दिल्ली के प्रबंधन में वित्तीय विवेक, वहनीयता और संधारणीयता के लिए कार्यनीतियों की सिफारिश करना शामिल है।

(घ): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत अब तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्वीकृत किए जा चुके हैं। पीएमएसएसवाई के मौजूदा चरण में झांसी में नए एम्स की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****